

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 54)

[24 दिसम्बर, 2006]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् गूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (क) का लोप किया जाएगा।

धारा 2 का
संशोधन।

नई धारा 2क का
अंतःस्थापन ।

आवश्यक वस्तुओं
की घोषणा,
आदि ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

‘2क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “आवश्यक वस्तु” से अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु अभिप्रेत है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में और उन कारणों से जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ऐसा करना आवश्यक है, उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे कि वह राज्य सरकारों के परामर्श से--

(क) उक्त अनुसूची में से किसी वस्तु को जोड़ सके ;

(ख) उक्त अनुसूची में से किसी वस्तु को हटा सके ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी किसी अधिसूचना द्वारा यह भी निदेश दिया जा सकेगा कि उक्त अनुसूची में ऐसी वस्तु के सामने यह घोषणा करते हुए प्रविष्टि की जाएगी कि ऐसी वस्तु छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आवश्यक वस्तु समझी जाएगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, लोकहित में और उन कारणों से जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि को उक्त छह मास की अवधि से आगे बढ़ा सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसी वस्तु के संबंध में, जिसके लिए संसद् को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 33 के आधार पर विधि बनाने की शक्ति है, उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी ।

(5) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी ।’

धारा 3 का
संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (छ) में “या सूती वस्त्रों” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 12क का
संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) का लोप किया जाएगा ।

धारा 3 के अधीन
जारी आदेशों की
व्यावृत्तियां ।

6. इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की बाबत, जारी सभी अधिसूचनाएं, आदेश, निदेश, की गई कोई नियुक्ति, अनुवृत्त अनुज्ञप्ति या परमिट, जो प्रवृत्त हैं, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे, जब तक कि किसी अधिसूचना, आदेश, की गई नियुक्ति, अनुवृत्त अनुज्ञप्ति या परमिट या जारी किए गए निदेशों द्वारा उसे अधिक्रान्त न कर दिया जाए और उसे इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा ।

अनुसूची
(धारा 2क देखिए)
आवश्यक वस्तुएं

(1) ओषधि ।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए “ओषधि” का वही अर्थ है जो ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 3 के खंड (ख) में है ;

1940 का 23

- (2) उर्वरक, चाहे वह अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित हो ;
- (3) खाद्य पदार्थ, जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी हैं ;
- (4) पूर्णतया कपास से बने अट्टी सूत ;
- (5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद ;
- (6) कच्चा पटसन और पटसन टेक्सटाइल ;
- (7) (i) खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा सब्जियों के बीज ;
(ii) पशु चारे के बीज ; और
(iii) पटसन बीज ।

राष्ट्रपति ने दि एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2006 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Essential Commodities (Amendment) Act, 2006 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।
Secretary to the Government of India.